तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से उपरोक्त तारीख पेशी हो गई, गत आदेश की पालना में दिनांक 1/8/23 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
1/8/23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित वास्ते बहस दि० 7/8/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
7/8/23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित, वकील प्रार्थी बहस सुनी गयी प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी वास्ते आदेश पत्रावली दि० 11/8/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
11/8/23	रो पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित वास्ते आदेश दि० 14/8/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
14/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से उपरोक्त तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 22/8/23 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
22/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित बहस प्रार्थीगण वकील पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत	

या
5
25
नं.
नं.
नं.
एवं
कबा
967
है।
करण
रियों
र्थात्
रेवड
ग्राम
पुत्र
प्रमाण
है जो
त की
रेवड

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अ

संख्या 156/2022
दायर दिनांक 11.07.2022
निर्णय दिनांक 22.08.2023

...लाल पुत्र रेवड
...वती देवी पुत्री रेवड
...लक्ष्मीनारायण पुत्र रेवड } जाति
जि...

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

" प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना
कि ग्राम ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर त
पुरानी 7 के खसरा नम्बर 123 रकब
रकबा 0.17 हैक्टे., खसरा नं. 126
146 रकबा 0.35 हैक्टे., खसरा नं. 7
78 रकबा 0.20 हैक्टे., खसरा नं. 7
81 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नं.
भूमि खतौनी संख्या नई 6 पुरानी
0.09 हैक्टे., खसरा नं. 964 रकबा
रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा नं. 968
प्रार्थीगण के नाम चली आ रही
खोलते समय सहवन से प्रार्थीगण
द्वारा दर्ज कर दिया जो कि गलत
प्रार्थी के पिता का नाम कन्हैया ला
है जो सही है तथा प्रार्थीगण की
ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील
रेवड दर्ज है तथा प्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 155 / 2022
प्रकरण दायर दिनांक 11.07.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक 22.08.2023

उनवान

बाबूलाल पुत्र रेवड
प्रभाती देवी पुत्री रेवड
लक्ष्मीनारायण पुत्र रेवड
} जाति मीना निवासी ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बसवा जिला दौसा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

" प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0 ए0 नाम दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज "

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0 ए0 इस आशय से प्रस्तुत किया के ग्राम ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 5 पुरानी 7 के खसरा नम्बर 123 रकबा 0.23 हैक्टे., खसरा नं. 124 रकबा 0.25 हैक्टे., खसरा नं. 125 रकबा 0.17 हैक्टे., खसरा नं. 126 रकबा 0.14 हैक्टे., खसरा नं. 127 रकबा 0.13 हैक्टे., खसरा नं. 146 रकबा 0.35 हैक्टे., खसरा नं. 75 रकबा 0.25 हैक्टे., खसरा नं. 77 रकबा 0.29 हैक्टे., खसरा नं. 78 रकबा 0.20 हैक्टे., खसरा नं. 79 रकबा 0.21 हैक्टे., खसरा नं. 80 रकबा 0.10 हैक्टे., खसरा नं. 81 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नं. 82 रकबा 0.21 हैक्टे. कुल किता 13 कुल रकबा 2.55 हैक्टे. एवं भूमि खतौनी संख्या नई 6 पुरानी 8 के खसरा नं. 1016 रकबा 0.31 हैक्टे., खसरा नं. 962 रकबा 0.09 हैक्टे., खसरा नं. 964 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा नं. 965 रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा नं. 967 रकबा 0.18 हैक्टे., खसरा नं. 968 रकबा 0.17 हैक्टे. कुल किता 6 कुल रकबा 0.98 हैक्टे. स्थित है। प्रार्थीगण के नाम चली आ रही उक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी का विरासत का नामान्तकरण खोलते समय सहवन से प्रार्थीगण के पिता का नाम कन्हैयालाल पुत्र सुखदेव राजस्व अधिकारियों द्वारा दर्ज कर दिया जो कि गलत है प्रार्थीगण के पिता सही नाम कन्हैया लाल पुत्र रेवड है अर्थात् प्रार्थी के पिता का नाम कन्हैया लाल पुत्र सुखदेव गलत दर्ज है तथा सही नाम कन्हैयालाल पुत्र रेवड है जो सही है तथा प्रार्थीगण की अन्य खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 7, 8, 9 स्थित ग्राम ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बसवा जिला दौसा में प्रार्थी के पिता का नाम कन्हैया लाल पुत्र रेवड दर्ज है तथा प्रार्थीगण के पिता के पहचान पत्र, पेनकार्ड, बैंकपास बुक, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि सभी दस्तावेजात में भी प्रार्थीगण के पिता का सही नाम कन्हैया लाल पुत्र रेवड दर्ज है जो सही है। तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जो कि दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस हाईवे के द्वारा अवाप्त की गई जिसकी मुआवजा राशि भी प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के पिता का नाम कन्हैयालाल पुत्र रेवड

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

सरा नं. 962 रकबा 0.09 हैक्टे. खसरा नं.964 रकबा 0.05 हैक्टे. खसरा नं. 965 रकबा 0.18 हैक्टे. सरा नं. 967 रकबा 0.18 हैक्टे. खसरा नं. 968 रकबा 0.17 हैक्टे. कुल किता 6 कुल रकबा 0.98 क्टे. जो कि विरासत की भूमि है में उक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थीगण पिता कन्हैया लाल पुत्र खदेव के स्थान पर कन्हैया लाल पुत्र रेवड नाम इन्द्राज किया जावें। तहसीलदार बॉदीकुई र्णयानुसार विधिवत पालना कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। पालना हेतु हसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल फ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

के नाम दर्ज करते हुये ही प्राप्त की है। प्रार्थीगण को अपने बाबा के गलत हुये नाम सुखदेव की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है क्योंकि प्रार्थीगण का विरासत का नामान्तकरण खतौनी संख्या 7, 8, 9 का प्रार्थीगण के नाम खुल चुका था । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दुरुस्ती की डिकी बहक प्रार्थी वर खिलाफ अप्रार्थी इस अमर की जारी फरमायी जावें कि भूमि ग्राम ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 5 पुरानी 7 के खसरा नम्बर 123 रकबा 0.23 हैक्टे. खसरा नं. 124 रकबा 0.25 हैक्टे., खसरा नं. 125 रकबा 0.17 हैक्टे. खसरा नं. 126 रकबा 0.14 हैक्टे., खसरा नं. 127 रकबा 0.13 हैक्टे. खसरा नं. 146 रकबा 0.35 हैक्टे., खसरा नं. 75 रकबा 0.25 हैक्टे. खसरा नं. 77 रकबा 0.29 हैक्टे. खसरा नं. 78 रकबा 0.20 हैक्टे., खसरा नं. 79 रकबा 0.21 हैक्टे. खसरा नं. 80 रकबा 0.10 हैक्टे. खसरा नं. 81 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नं. 82 रकबा 0.21 हैक्टे. कुल किता 13 कुल रकबा 2.55 हैक्टे. एवं भूमि खतौनी संख्या नई 6 पुरानी 8 के खसरा नं. 1016 रकबा 0.31 हैक्टे. खसरा नं. 962 रकबा 0.09 हैक्टे. खसरा नं.964 रकबा 0.05 हैक्टे. खसरा नं. 965 रकबा 0.18 हैक्टे. खसरा नं. 967 रकबा 0.18 हैक्टे. खसरा नं. 968 रकबा 0.17 हैक्टे. कुल किता 6 कुल रकबा 0.98 हैक्टे. जो कि विरासत की भूमि है में उक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी के कन्हैया लाल पुत्र सुखदेव सहवन से नाम भूमि में गलत दर्ज कर दिया। जो कि गलत है हजफ किया जाकर प्रार्थी के पिता सही नाम कन्हैया लाल पुत्र रेवड है जो सही है तथा प्रार्थीगण के पिता के पहचान पत्र, पेनकार्ड, बैंकपास बुक, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में भी प्रार्थीगण के पिता का सही नाम कन्हैयालाल पुत्र रेवड दर्ज है जो सही है अतः राजस्व रिकॉर्ड खतौनियों में उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण के पिता का सही नाम कन्हैया लाल पुत्र रेवड दर्ज किया जावें इस बाबत निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गई। प्रकरण में पटवारी हल्का धनावड व भू.अ.नि. देलाडी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 10.11.2022 प्रस्तुत की गयी। रिपोर्ट अनुसार मृतक खातेदार कन्हैया पुत्र रेवडया का नामा0 संख्या 551 दिनांक 07.04.2022 दर्ज एवं स्वीकृत हो चुका है। जो कि वादीगण है अब वादीगण कन्हैया पुत्र मु0 सुखेदव का नामान्तकरण भी अपने ही नाम खुलवाना चाहता है जबकि मृतक कन्हैया के पिता का नाम रेवड ही था। महंगाई राहत कैम्प देलाडी में उपस्थित मौतबिरान से जानकारी करने पर पाया कि कन्हैया पुत्र रेवडया नाम का व्यक्ति सुखदेव पुत्र मुंशीराम जाति मीना के गोद गया था जिसके कारण मृतक खातेदार कन्हैया पि0 मु0 सुखदेव एवं कन्हैया पुत्र रेवडया एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी वकील बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया गया तथा उक्त वर्णित राजस्व राजस्व रिकॉर्ड खतौनियों में उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण के पिता का सही नाम कन्हैया लाल पुत्र रेवड दर्ज किया जाने बाबत निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थीगण बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी खेवट/खतौनी संवत् 2074–2077, नामान्तकरण प्रपत्र ग्राम ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर संवत् 2074–77, मृत्यु प्रमाण पत्र, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक्स का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से राजस्व अभिलेख जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता का नाम का गलत इन्द्राज होना प्रकट है। अतः उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 रा0 ले0 ए0 नाम दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि भूमि ग्राम ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 5 पुरानी 7 के खसरा नम्बर 123 रकबा 0.23 हैक्टे. खसरा नं. 124 रकबा 0.25 हैक्टे., खसरा नं. 125 रकबा 0.17 हैक्टे. खसरा नं. 126 रकबा 0.14 हैक्टे., खसरा नं. 127 रकबा 0.13 हैक्टे. खसरा नं. 146 रकबा 0.35 हैक्टे., खसरा नं. 75 रकबा 0.25 हैक्टे. खसरा नं. 77 रकबा 0.29 हैक्टे. खसरा नं. 78 रकबा 0.20 हैक्टे., खसरा नं. 79 रकबा 0.21 हैक्टे. खसरा नं. 80 रकबा 0.10 हैक्टे. खसरा नं. 81 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नं. 82 रकबा 0.21 हैक्टे. कुल किता 13 कुल रकबा 2.55 हैक्टे. एवं भूमि खतौनी संख्या नई 6 पुरानी 8 के खसरा नं. 1016 रकबा0.31 हैक्टे.

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner